कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

Website - korba.gov.in E mail - actwdkorba@gmail.com

क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./2025–26/ 1373 कोरबा, दिनांक 22/7/25

//सूचना प्रकाशन//

वर्ष 2025–26 में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) हेतु ऑनलाईन पंजीयन की सूचना

कोरबा जिले में संचालित समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई एवं डाईट आदि के प्राचार्य/संस्था प्रमुख, छात्रवृत्ति प्रभारी एवं उनमें अध्ययनरत् **अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग** के विद्यार्थियों, जो राज्य शासन द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखते है, को सूचित किया जाता है कि **शिक्षा सत्र 2025–26 हेतु ऑनालाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 12वीं से उच्चतर) के पंजीयन, स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://postmatric-scholarship.cg.nic.in/** वेबसाईट पर ऑनलाईन की जा रही है।

जिसके अंतर्गत राज्य शासन द्वारा ऑनलाईन आवेदन/प्रस्ताव/स्वीकृति वर्ष 2025–26 हेतु निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है :–

क्र0	आवेदन का प्रकार	विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति तिथि	स्वीकृति एवं डिसबर्स		संभावित भुगतान तिथि
			शासकीय	अशासकीय	
1	नवीनीकरण	31 मई 2025 तक	07 जून 2025 तक	10 जून 2025 तक	10 जून 2025
		31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
		30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025
2	नवीन	31 अगस्त 2025 तक	07 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025 तक	10 सितम्बर 2025
		30 सितम्बर 2025 तक	07 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025 तक	10 अक्टूबर 2025
		30 नवम्बर 2025 तक	15 दिसम्बर 2025 तक	20 दिसम्बर 2025 तक	31 दिसम्बर 2025

विद्यार्थियों को उनके आधार सीडेड बैंक खाते में भुगतान 07 कार्य दिवस में प्राप्त होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात् शिक्षा सत्र 2025–26 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन हेतु पोर्टल बंद कर दिया जावेगा एवं Draft Proposal Lock तथा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि तक कार्यवाही पूर्ण नहीं करने पर यदि संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, तो इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

1. **छात्रवृत्ति हेतु निम्नानुसार पात्रता निर्धारित है :–**
   क. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के पालक की आय–सीमा रू. 2.50 लाख प्रतिवर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आय–सीमा रू. 1.00 लाख प्रतिवर्ष। **ख.** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र। **ग.** छ0ग0 का मूल निवास प्रमाण पत्र। **घ.** विद्यार्थी के अध्ययनरत् पाठ्यक्रम के विगत वर्ष का परीक्षा परिणाम।
2. PFMS के माध्यम से आधार आधारित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा रहा है। अतः सभी विद्यार्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय ध्यान रखे कि उनका बचत खाता एक्टिव हो एवं **आधार सीडेड बैंक खाता नम्बर की प्रविष्टि** करना सुनिश्चित करें।
3. वर्ष 2025–26 के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को **NSP Portal** से **OTR (One Time Registration)** प्राप्त करना आवश्यक है। इस हेतु राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल में प्रदाय निर्देशों का अवलोकन किया जा सकता है।
4. वर्ष 2025–26 में नवीन संस्था के संस्था प्रमुख **(HoI)** एवं संस्था के छात्रवृत्ति प्रभारी **(INO)** का **Biometric authentication** किया जाना अनिवार्य है।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा
कोरबा, दिनांक 22/7/25

पृ0क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./2025–26/ 1374
प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. स्टेनो–टू–कलेक्टर, जिला कोरबा की ओर सादर सूचनार्थ।
3. उपसंचालक, जिला जनसम्पर्क विभाग कोरबा, को सूचनार्थ सम्प्रेषित। कृपया जिले के दो प्रमुख समाचार पत्रों में तीन–तीन दिवस के अंतराल में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करेंगे।
4. सर्व प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पोलिटेक्निक, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आई.टी.आई एवं डाईट आदि जिला–कोरबा (छ0ग0) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। संस्था में अध्ययनरत् पात्र छात्रों को सत्र 2025–26 हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति संबंधी सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा
जिला–कोरबा (छ0ग0)